

पत्रावली का निस्तारण जानने से संभव नहीं होने से पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 7/6/23 को पेश हो।

शिविर प्रभारं

7/6/23

वकील वादिया अथ वादिया मद्रैगाई शक्ति केंद्र 2023 मुठवाडा में उपस्थित होकर विद्रोह प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर पत्रावली तलब की गई। विद्रोह प्रार्थना पत्र के आधार पर वादिया का वाद खारिज किया जा चुका है। इसलिए अब दीमार् प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य शेष नहीं रह जाता है। इसलिए दीमार् प्रार्थना पत्र खारिज की जाती है। सम्बन्धित को तहरीफ जारी है। पत्रावली केसल शुमार होकर दर्ज पत्रावली से कम है। आदेश केंद्र मुठवाडा में सुनाया गया।

मे मूल ६००  
ल १२५०-५२  
के बिहारे माल  
वाली है।



निर्वाणदेव-  
Idarump  
Lccurday  
Aetp

उपरखण्ड अधिकारी  
सांभर लेख

